न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 29/2020

उनवान

1 नानालाल आत्मज सोहनलाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

2 उदयराम आत्मज सोहनलाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

--- वादीगण

बनाम

1 भवानी शंकर आत्मज बसन्तीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ हाल सुन्दर निवास, गांधीनगर डाक बंगले के पीछे, भीलवाडा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :::— श्री सुरेश चन्द्र अहीर.....अधिकक्ता वादीगण
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ
अनुपस्थित— प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक — 08—10—2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक नियमित वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का क्षेत्र ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 1327 रकबा 0.3794 हैक्टयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.1265 हैक्टयर किता 2 कुल रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण 1/3, भगवतीलाल पिता प्यारचन्द ब्राहमण 1/3, मोहन पिता रामा ब्राहमण 1/3 हक हिस्से से सहखातेदारी अधिकारों में अभिलिखित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजियात भूभाग स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण के 1/3 हक स्वामित्व व आधिपत्य में कृषि भूमि चली आ रही है। गजानन्द जी का स्वर्गवास हो चुका है उनके कोई जाईन्दा सतांन उत्पन्न नही होने से गजानन्द जी ने प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्व. बसंतीलाल जी को गोदपुत्र के रूप में उस कालान्तर अवधि में स्वीकार किया था तब से स्व. बंसतीलाल जी को गजानन्द जी के दत्तकपुत्र के रूप में पहचाना जाने लगा। बंसतीलाल जी का भी निधन हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 बंसतीलाल जी का जाईन्दा पुत्र होकर बतौर विधिक वारिस राजस्व वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। स्व. गजानन्द जी ने अपनी जीवन काल में ही तयशुदा प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादग्रस्त आराजियात भूभाग में अपने निहित हक हिस्से 1/3 का एक पंजीकृत विक्रय ईकरार पत्र वादीगण के पिता सोहनलाल पिता रामा जी ब्राहमण के पक्ष में वर्ष 1950 के दशक में दिनांक 03 फरवरी 1953 को निष्पादित करा, बिकाव कर दिया था और बेचान की गई भूमि का कब्जा भी वादीगण के पिता सोहनलाल जी को सिपूर्द करा दिया था। इससे यह तथ्य सुस्थापित है कि मृतक गजानन्द जी ने वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने निहित 1/3 हिस्से को वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

के पिता के पक्ष में विक्रय कर सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर ली थी। तत्समय की कालावधि में सेटलमेन्ट ऑपरेशन कार्य चलकर सम्पन्न हुआ और उस दौरान कार्यवाही साबिक बन्दोबस्त के खसरान से नवीन निर्मित आराजी खसरा नम्बर 1327, 1328 का निर्माण किया गया। परन्तु निष्पादित किये गये विक्रय ईकरार के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के स्वामित्व का ईन्द्राज वादीगण के पिता सोहनलाल जी के पक्ष नही किया गया। और तब से लेकर आज मौजुदा समय में भी कृषि भूमि स्व. गजानन्द जी के नाम पर दोषपूर्ण दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। जबकि भौतिक रूप से कब्जा स्व. सोहनलाल जी के निधन के पश्चात वादीगण का होकर, वादीगण शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। जिस प्रकार से वादीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा भूभाग वर्तमान में भी बैचानकर्ता स्व. गजानन्द जी के नाम पर चला आ रहा है यह नियमों/प्रावधानों के विपरीत होकर विधि द्वारा अमान्य है और इस कारित भूल से वादीगण के हित बेहद प्रभावित हुए है। जिसे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक होने के साथ कानूनन वादीगण के हित में होगा। वादीगण खरीदशुदा भू–भाग पर काबिज है, और इस भूभाग में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायपूर्ण होने के साथ वादीगण के अधिकारों में शुमार है।

अतः ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का क्षेत्र ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 1327 रकबा 0.3794 हैक्टयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.1265 हैक्टयर किता 2 कुल रकबा 0.5059 हैक्टयर भूभाग में पंजीकृत बैचानकर्ता स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित/हटाया जाकर वादीगण को 1/3 हक हिस्से में सहखातेदार कृषक घोषित कराया जावें तथा साथ ही किए जाने वाले दुरूस्तकरण उपरान्त वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 19.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादीगण पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादीगण श्री उदयराम आत्मज सोहनलाल शर्मा एवं नानालाल आत्मज सोहनलाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा के शहादत्त में शपथ–पत्र प्रस्तुत कराये गये जिन्हे शामिल मिसल कर, लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–01, 02 के अंकन कर, वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, चालू जमाबन्दी सवंत् 2075–78, राजस्व नक्शा, पंजीकृत विक्रय ईकरार पत्र दिनांकित 03 फरवरी 1953 पर क्रमशः प्रदर्श–1, से प्रदर्श–3 के अंकन किए गये।

प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया मुताबिक प्रक्रम बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया। नियत चरण में वादीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश चन्द्र अहीर ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, साबिक एवं हाल राजस्व अभिलेखों एवं प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का क्षेत्र ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 1327 रकबा 0.3794 हैक्टयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.1265 हैक्टयर किता 2 कुल रकबा 0.5059

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

हैक्टयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण 1/3, भगवतीलाल पिता प्यारचन्द ब्राहमण 1/3, मोहन पिता रामा ब्राहमण 1/3 हक हिस्से से सहखातेदारी अधिकारों में अभिलिखित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजियात भूभाग स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण के 1/3 हक स्वामित्व व आधिपत्य में कृषि भूमि चली आ रही है। उपरोक्त तथ्य नकल जमाबन्दी सवत् 2075–78 एवं हाल राजस्व नक्शा प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01, 02 से साबित हुआ है। स्व. गजानन्द जी ने अपनी जीवन काल में वादग्रस्त आराजियात भूभाग मे अपने निहित हक हिस्से 1/3 का एक पंजीकृत विक्रय ईकरार पत्र वादीगण के पिता सोहनलाल पिता रामा जी ब्राहमण के पक्ष में दिनांक 03 फरवरी 1953 को निष्पादित करा, बिकाव कर दिया था। इस तथ्य का प्रमाणिकरण भी प्रदर्श दस्तावेज संख्या 03 पंजीकृत बिकाव पत्र दिनांकित 03.02.1953 से होना पाया गया है।

यहां पर अदालत पंजीकृत बिकाव पत्र दिनांकित 03.02.1953 की अनदेखी नही करते हुए यह समझती है कि सद्भाविक क्रेता स्व. श्री सोहनलाल जी ने वादग्रस्त आराजियात भूभाग में से 1/3 हिस्सा/अनुपात स्व. गजानन्द जी से खरीद किया हुआ था, उस अधिकार से वादीगण जो स्व. सोहनलाल जी के विधिक उत्तराधिकारीगण है, इनका भूभाग के 1/3 हिस्से में मालिकाना हक तय किया न्यायोचित होगा है।

देखने पर यह सूस्पष्ट है कि जिस प्रकार से वादीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा भूभाग वर्तमान में भी बैचानकर्ता स्व. गजानन्द जी के नाम पर चला आ रहा है यह नियमों/प्रावधानों के विपरीत होकर विधि द्वारा अमान्य है और इस कारित भूल से वादीगण के हित निश्चित रूप से प्रभावित हुए है। जिसे दुरूस्त कराये जाने के वादीगण हकदार है। वादीगण पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिवचन स्वीकृत किये जाते है।

जाहिरा तौर पर वादीगण कानूनन वादग्रस्त खसरान में से 1/3 हिस्से में विधिक उत्तराधिकारिगण की हैसियत से बतौर मालिकाना हक अधिकार रखते है। कारित भूल को दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने के साथ कानूनन वादीगण के हितार्थ अनिवार्य है।

अतः इस प्रकार प्रकरण के अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादीगण के वादपत्र ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

–::: आदेश :::–

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का क्षेत्र ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 1327 रकबा 0.3794 हैक्टयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.1265 हैक्टयर किता 2 कुल रकबा 0.5059 हैक्टयर भूभाग में पंजीकृत बैचानकर्ता स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित/हटाया जाकर वादीगण को 1/3 हक हिस्से में सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में आ रही भूमि निजाई में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

तहसीलदार हमीरगढ तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला, भीलवाडा

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः— नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29/2020

उनवान

1 नानालाल आत्मज सोहनलाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

2 उदयराम आत्मज सोहनलाल शर्मा उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

—— वादीगण

बनाम

1 भवानी शंकर आत्मज बसन्तीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ हाल सुन्दर निवास, गांधीनगर डाक बंगले के पीछे, भीलवाडा राज.

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सुरेश चन्द्र अहीर.....अधिकक्ता वादीगण
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

अनुपस्थित— प्रतिवादी संख्या 01

दिनांक— 08—10—2024

वाद—पत्र अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार जारी की जाती है कि—वाके ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का क्षेत्र ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 1327 रकबा 0.3794 हैक्टयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.1265 हैक्टयर किता 2 कुल रकबा 0.5059 हैक्टयर भूभाग में पंजीकृत वैचानकर्ता स्व. गजानन्द पिता लालू ब्राहमण का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित/हटाया जाकर वादीगण को 1/3 हक हिस्से में सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में आ रही भूमि निजाई में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। तहसीलदार हमीरगढ तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 08—10—2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner